"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च 2006—फाल्गुन 10, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 12/छ.रा.वि.नि.आ./2006.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 45, 61 व 62 सहपठित धारा 181 (ज़ेड डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तों एवं निबन्धन के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006 कहे जावेंगे.

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगें।

(3) ये विनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे।

2. उपयोजन का विस्तार

(1) ये विनियम उन समस्त प्रकरणों में लागू होगें जहां आयोग द्वारा पूंजी लागत पर आधारित विद्युत टैरिफ का निर्धारण किया जाना है।

(2) तथापि, जहां बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्रीय शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ निर्धारित हुआ है, ऐसे टैरिफ को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग अंगीकार करेगा।

3. परिभाषाऐं

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों,

(ए) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36);

(बी) "बैंक दर" से अभिप्रेत है प्रासंगिक वर्ष में पहली अप्रैल को लागू भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर;

(सी) "केन्द्रीय आयोग" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

(डी) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(ई) "संविदा विद्युत" से अभिप्रेत है, मैगावॉट में विद्युत जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी वितरण प्रणाली पर व्हील करने की स्वीकृति दी हो;

(एफ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में "प्रचालन तिथि" से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के घोषित वोल्टेज स्तर पर उप केन्द्र अथवा विद्युत लाइन चार्जिंग की तिथि।

उन प्रकरणों में जहाँ लाइनें/उपकेन्द्र चार्ज करने हेतु तैयार हों परंतु, उन कारणों जिनके लिये अनुज्ञप्तिधारी जिम्मेदार न हो, अनुज्ञप्तिधारी उन्हें चार्ज न कर पारहा हो तो उनके चार्जिंग के लिये तैयार घोषित होने के 7 दिनों के बाद की तिथि पर उन्हें चार्ज किया माना जावेगा;

(जी) "घोषित वोल्टेज" से अभिप्रेत है, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 54 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट वोल्टेज;

(एच) "वितरण हानि" से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली में विद्युत हानि;

(आई) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसे धारा 14 के अनुज्ञप्ति दी गई हो और इसमें अधिनियम की इसी धारा के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी समझा गया व्यक्ति शामिल होगा;

(जे) "एस.एल.डी.सी." से अभिप्रेत है, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर;

(के) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(एल) "टैरिफ" से अभिप्रेत है शर्तों एवं निबन्धनों सहित थोक आपूर्ति व्हीलिंग एंव चिल्हर विद्युत आपूर्ति की प्रभार सूची;

(एम) "टैरिफ अवधि" से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके लिये टैरिफ तथा/या इस विनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अवधारण किया गया है;

(एन) "वर्ष" से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, तथा -

(i) "चालू वर्ष" से अभिप्रेत है, वर्ष जिसमें वार्षिक लेखा अथवा टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है;

(ii) "पूर्व वर्ष" से अभिप्रेत है, चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष;

(iii) "आगामी वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष का अगला अनुगामी वर्ष।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें यहाँ विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम तथा आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों में दिया गया है।

अध्याय–2 : उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ

4. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004 में बताई गई रीति तथा प्रपत्रों में, उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ अवधारण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन (टैरिफ याचिका) देगा। आयोग, प्रपत्रों में समय–समय पर संशोधन या सुधार कर सकेगा।

5. शर्तें एवं निबन्धन:

(1) उत्पादन कम्पनी (जलीय एवं तापीय) तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ अवधारण हेतु; आयोग; राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति एवं अधिनियम की धारा 61(ए) से (एच) में वर्णित सिद्धातों से मार्गदर्शन लेगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2004 में वर्णित सिद्धांतों तथा रीतियों का अनुसरण करेगा।

(2) केन्द्रीय आयोग के विनियमों में अंतर्विष्ट उपलब्धता के लक्ष्य, प्लाण्ट लोड फैक्टर, इत्यादि के मानदण्डों के बजाय वर्तमान उत्पादन केन्द्र की क्षमता, आयु तथा पूर्व के निष्पादन अभिलेखों के आधार पर आयोग, उदार मानदण्ड निर्धारित कर सकेगा। ऐसे उदार मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

(3) राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा अधिनियम की धारा 61(एच) के अनुसरण में, सह–उत्पादन रीति तथा गैर परंपरागत स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत के टैरिफ निर्धारण में भी, आयोग, उदार मानदंडों का अनुगमन कर सकेगा है।

अध्याय–3 : वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ

6. **टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004 में बताई गई रीति तथा प्रपत्रों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ अवधारण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन (टैरिफ याचिका) देगा। आयोग, प्रपत्रों में समय–समय पर संशोधन या सुधार कर सकेगा।

7. आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये टैरिफ अवधारण में अधिनियम की धारा 61(ए) से 61(एच) तक वर्णित सिद्धातों, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति से मार्ग दर्शन लेगा।

8. **सेल्स फोरकास्ट (विक्रय–पूर्वानुमान)**

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति–क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की सकल सीमित तथा असीमित माँग (मेगावाट में) तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विक्रित विद्युत की जानकारी पूर्व वर्ष, तथा चालू वर्ष एवं आगामी वर्ष के पूर्वानुमान के रूप में प्रस्तुत करेगा। श्रेणी–वार विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान सामान्यतः 5 वर्ष के सी.ए.जी.आर के आधार पर किया जायेगा ।

(2) मीटर रहित श्रेणी के लिये विक्रय पूर्वानुमान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये समुचित अध्ययन के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों पर मान्य होगा।

(3) उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोग, विद्युत क्षति, पूर्व–वर्षों की विद्युत मांग तथा आगामी वर्ष में प्रत्याशित वृद्धि तथा कोई अन्य फैक्टर, जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर आयोग पूर्वानुमानों की पर्याप्तता की जांच करेगा, तथा ऐसे सुधारों, जिन्हें आयोग उचित समझे, के साथ विक्रय पूर्वानुमान अनुमोदित करेगा ।

(4) विद्युत व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को यदि विद्युत विक्रय किया जाना है तो उसे अलग से दर्शाया जायेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा श्रेणीवार ओपन एक्सेस ग्राहकों को भी बतलाया जावेगा। उनकी मांग तथा व्हील की जाने वाली विद्युत को भी अलग से निम्नानुसार बताना होगा :–

(a) आपूर्ति–क्षेत्र के भीतर की जाने वाली आपूर्ति, तथा

(b) आपूर्ति–क्षेत्र के बाहर की जाने वाली आपूर्ति ।

9. उपभोक्ताओं को विक्रित की जाने वाली विद्युत की मानिटरिंग .

(1) अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष में मांग के मौसमी फेर–बदल को ध्यान में रखते हुये विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मासिक–विक्रय की आवश्यकता को अनुज्ञप्तिधारी निकालेगा।

(2) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के विद्युत उपभोग को अनुज्ञप्तिधारी मानीटर करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता की आपूर्ति अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जाए ।

(3) सूखा जैसी असामान्य स्थिति में यदि किसी श्रेणी के उपभोक्ता की आपूर्ति में विचलन किया जाना है तो अनुज्ञप्तिधारी को आयोग का अनुमोदन लेना होगा।

10. वितरण हानि

(1) किसी विशेष वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वितरण प्रणाली में मूलतः अंतःक्षेपित ऊर्जा एवं उस वोल्टेज स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को विक्रीत कुल ऊर्जा धन उस विशेष वोल्टेज स्तर के नीचे के स्तर को दी गई ऊर्जा का अंतर होगी। अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर निर्धारित अमीटरीकृत विक्रय एवं मीटरीकृत विक्रय का योग विक्रित ऊर्जा होगी। तथापि अनुज्ञप्तिधारी संपूर्ण वितरण प्रणाली के लिए वितरण हानि प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) वितरण हानि की आधार रेखा तय करने के लिए आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करेगा कि वह उसके अधीक्षण में समुचित हानि आँकलन अध्ययन पूरा करे या स्वयं आयोग अध्ययन प्रारंभ कर सकेगा।

(3) इस अध्ययन में आपूर्ति वोल्टेजवार तथा उपभोक्ता श्रेणीवार तकनीकी हानि (अर्थात् लाइन उपकेन्द्र एवं उपस्कर में ओहमिक/कोर हानि) और वाणिज्यिक हानि (अर्थात् गलत/अनुपयुक्त मीटरिंग तथा तथा विद्युत चोरी के कारण) पृथक निकाली जायेंगी।

(4) आयोग, अध्ययन के आधार पर आगामी वर्ष के लिये एक यथार्थवादी एवं निष्पाद्य लक्ष्य (हानि कम करने हेतु) अनुमोदित करेगा। ऐसा अध्ययन उपलब्ध न होने की दशा में आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत हानियों पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऐसा लक्ष्य, जिसे आयोग उचित समझे, निर्धारित करेगा।

(5) निपुणता के स्वीकार्य मानदंड तक विद्युत हानि स्तर को धीरे–धीरे नीचे लाने (हानि घटाने) हेतु दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों लक्ष्य, आयोग, तय कर सकता है।

(6) बेहतर प्रशासन के लिये प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक ए.टी. सी. हानि वाले विशेष क्षेत्र/स्थान पर अधिभार लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8.2.1(2) के प्रावधान के अनुसार विद्युत हानि कम करने से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के लिये क्षेत्रीय आधार पर उचित प्रोत्साहन और दण्ड राशि लगाये जाने की योजना को, आयोग, बढ़ावा दे सकता है।

(7) आयोग द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में हानि घटाने में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने पर प्राप्त वित्तीय लाभ में से कुछ अंश वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी दिया जाना चाहिये। अंश कितना दिया जाय यह आयोग तय करेगा।

(8) आयोग द्वारा नियत लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी विफलता के कारण हुई हानि को वितरण अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा।

11. विद्युत के क्रय की आवश्यकता का आँकलनः

(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित विद्युत विक्रय पूर्वानुमान तथा आगामी वर्ष के लिये अनुमोदित वितरण हानि, तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण हानि के आधार पर, क्रय की जाने वाली विद्युत आवश्यकता निकाली जायगी।

(2) आगामी वर्ष हेतु विद्युत के क्रय की आवश्यकता की सूक्ष्म जांच आयोग द्वारा की जायगी और उपयुक्त समझे गये परिवर्तन सहित इसे आयोग अनुमोदित करेगा।

12. ऋण–पूंजी अनुपात

(1) दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके बाद स्थापित नई वितरण लाइन अथवा उपकेन्द्र या क्षमता विस्तार के प्रकरण में टैरिफ़ निर्धारण के प्रयोजन से ऋण तथा लागत पूँजी की अंशपूँजी को 70:30 के अनुपात में माना जावेगा।

परंतु जहाँ अंशपूँजी 30% से अधिक है, टैरिफ के प्रयोजन हेतु अंशपूँजी की राशि को 30% तक ही सीमित माना जावेगा तथा अतिशेष राशि को ऋण के रूप में माना जावेगा। उपरोक्त 30% से अधिक अंशपूँजी को कर्ज माना जावेगा तथा उस पर लागू ब्याज दर का उल्लेख खंड 20 में किया गया है।

परंतु जहां वास्तविक अंशपूँजी 30% से कम है, वहां वास्तविक अंशपूँजी को माना जायेगा।

परंतु, यह भी कि आयोग उपयुक्त मामलों में, जहाँ वितरण कंपनी आयोग की संतुष्टि हेतु यह स्थापित करने में समर्थ हो कि लगाई गई 30% से अधिक की अंशपूँजी जनहित में थी, टैरिफ निर्धारण हेतु 30% से अधिक की अंशपूँजी को भी अंशपूँजी मान सकेगा।

(2) वर्तमान वितरण प्रणाली हेतु दिनाँक 01–04–2005 से पूर्व किये गये विनियोग प्रकरण में, ऋण पूंजी अनुपात, संपरीक्षित लेखा के आधार पर स्वीकार किया जायेगा। वर्ष 2004–2005 हेतु संपरीक्षित लेखा उपलब्ध न होने की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2004–2005 का अपरीक्षित लेखा, पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी निकटतम वर्ष के उपलब्ध संपरीक्षित लेखे के साथ प्रस्तुत करेगा।

13. लागत पूंजी एवं पूँजी का ढांचा

(1) आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन, वाणिज्य प्रचालन की तिथि पर वास्तविक पूंजी व्यय, टैरिफ निर्धारण हेतु आधार होगा।

(2) मूल परियोजना लागत के 1.5% तक पूंजीकृत प्रारंभिक अतिशेष, पूंजी–लागत में शामिल होंगे।

(3) पूंजी–लागत पर उच्चतम सीमा हेतु जहां विद्युत क्रय अनुबंध अथवा ट्रांसमिशन या व्हीलिंग अनुबंध में पूँजीगत लागत पर उच्चतम सीमा का प्रावधान उपलब्ध है, विचरित पूंजी–लागत ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगी।

(4) विद्यमान वितरण प्रणाली के मामलें में, पूंजीगत लागत संपरीक्षित लेखा पर आधारित होगी। संपरीक्षित लेखा उपलब्ध न होने पर अनंतिम लेखे के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

(5) पूंजी–लागत, वित्त पोषण योजना, निर्माण काल में ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, तथा टैरिफ निर्धारण हेतु ऐसी अन्य बातों के संबंध में लागत आँकलन की छानबीन (समीक्षा) आयोग द्वारा की जायेगी।

(6) विदेशी मुद्रा पूंजी तथा विदेशी मुद्रा ऋण के विनिमय की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि टैरिफ़ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा ऐसे विनिमय से प्राप्त लाभ को विनिमय के

वर्ष के अनुवर्ती वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में बांटा जायगा।

(7) अंशपूंजी या ऋण के अनुपात में पूंजी लागत के पुनर्गठन की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि अनुवर्ती अवधि में टैरिफ पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा ऐसे पुनर्गठन से होने वाला लाभ, आयोग द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट अनुपात में, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाये।

(8) आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आगामी वर्ष में भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण, उपभोक्ता सेवाओं इत्यादि की आवश्यकता से निपटने हेतु वित्त पोषण योजना सहित एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तुत करेगा। अनुमोदित पूंजी निवेश योजना तथा अनुमोदित योजना से संबंधित लागत को राजस्व आवश्यकता के आँकलन में शामिल किया जायगा।

14. अतिरिक्त पूंजीकरण

(1) सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन, वाणिज्य प्रचालन की तिथि के बाद, कार्य के मूल विस्तार के भीतर वास्तव में हुए निम्नांकित पूंजी व्यय पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है:–

(ए) आस्थगित दायित्व कार्य।

(बी) निष्पादन हेतु आस्थगित निर्माण।

(सी) खंड–13 में लिखित मानदडों की सीमा के अधीन, मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक स्पेयर्स की प्राप्ति।

(डी) मध्यस्थ पंचाट अथवा न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन करने का दायित्व।

(इ) विधि परिवर्तन के फलस्वरूप किया गया व्यय।

(एफ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवायें जो वितरण प्रणाली के प्रभावी व सफल प्रचालन हेतु अवश्यभावी बन गया हो, परंतु मूल पूंजी लागत में शामिल नहीं हो।

टिप्पणी :–

(i). कार्य के मूल विस्तार के भीतर प्रतिबद्ध दायित्व के कारण अंगीकृत कोई व्यय तथा प्रौद्योगिक–आर्थिक आधार पर आस्थगित व्यय का भुगतान खंड 12 में उल्लिखित आदर्श ऋण पूंजी अनुपात में किया जायेगा।

(ii). मूल पूंजी लागत से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बट्टे खाते में डालने के बाद पुरानी आस्तियों के प्रतिस्थापना के किसी व्यय पर विचार किया जायेगा। पुरानी आस्तियों की प्रतिस्थापना हेतु, किये गये पूँजीगत व्यय में से अनुज्ञप्तिधारी को मिलने वाली पुरानी आस्तियों के रद्दी मूल्य घटाकर, पूँजीगत व्यय की सीमा तक स्वीकृत की जा सकेगी।

(iii). टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत कोई व्यय, जो कार्य के मूल विस्तार से अलग किसी नये कार्य के मद में हो, खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट मानक ऋण पूंजी के अनुपात में व्यवस्थित किया जायेगा।

(iv). नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, जीवन–विस्तार तथा प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त आस्तियों के प्रत्यावर्तन के टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत किसी भी व्यय को, मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियां की मूल राशि को बट्टे खाता में डालने के बाद खंड–12 में उल्लिखित आदर्श ऋण पूंजी अनुपात पर व्यवस्थित की जासकेगी।

(2) टैरिफ अवधि में एक बार, टैरिफ पर अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है।

15. कार्यकारी पूंजी

कार्यकारी पूंजी में निम्न बातें होनी चाहियेः–

(ए) एक माह के लिये संचालन एवं संधारण व्यय।

(बी) वार्षिक आवश्यकता के आधार पर दो माह के लिये अनुरक्षण स्पेयर्स। इसे वर्ष के प्रारंभ में सकल स्थायी आस्तियों के 1% तक मान्य किया जावेगा।

(सी) उपभोक्ताओं की 60 दिन की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्त आय।

(डी) मुक्त उपयोग के ग्राहकों से 60 दिन के व्हीलिंग प्रभार के बराबर प्राप्त आय।

16. विद्युत के क्रय की लागत

(1) इस संबंध में आयोग द्वारा निर्मित विनियम/मार्गदर्शन के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत प्राप्त करेगा ।

(2) ट्रान्समिशन लागत सहित जनरेटिंग कम्पनी से क्रय की जाने वाली विद्युत लागत को आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन के टैरिफ के आधार पर निकाला जायेगा।

(3) उपरोक्त उप–खंड (1) के अधीन व्यापारियों व अन्य अनुज्ञप्तिधारियों से किये गये पी.पी.ए. के आधार पर विद्युत के क्रय की लागत पर विचार किया जायेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाली इकाई से विद्युत उत्पादन लागत और उसके द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय, आयोग द्वारा निर्धारित अंतरण मूल्य पर आधारित होगा।

(5) अल्पकालिक विद्युत अभाव होने पर अनुज्ञप्तिधारी किसी भी स्रोत से विद्युत ले सकता है जो आयोग द्वारा अनुमोदित उच्चतम दर से अधिक न हो।

(6) सह–उत्पादन इकाइयों व गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय के प्रकरण में, यदि ऐसे उत्पादकों के लिये कोई नीति आयोग द्वारा अनुमोदित हो तो ऐसे स्त्रोतों से न्यूनतम प्रतिशत क्रय को ध्यान रखकर, लागत निकाली जायेगी।

(7) आगामी वर्ष में अपने उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता के लिये कुल विद्युत क्रय लागत का आँकलन गुणागुण आदेश (मेरिट आर्डर) सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा।

(8) नेटवर्क के उपयोग हेतु प्रभार के अलावा, यदि अलग से एस.एल.डी.सी. प्रभार का भुगतान किया जाता है तो उसे व्यय के रूप में लिया जायेगा तथा टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु विद्युत क्रय लागत में शामिल किया जायेगा।

(9) अनुज्ञात विद्युत क्रय दर के औसत पर यू आई प्रभार स्वीकृत किया जायेगा। तथापि, उच्चतर लागत को स्वीकृत किया जा सकता है यदि आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी क्रय की गई विद्युत का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु किया गया था।

17. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय में, कर्मचारी लागत, मरम्मत व अनुरक्षण लागत, प्रशासनिक व सामान्य लागत तथा बीमा सहित अन्य प्रकीर्ण व्यय शामिल होते हैं। वितरण प्रणाली की पूंजी लागत के निश्चित प्रतिशत के रूप में, आयोग, आधार वर्ष हेतु आदर्श प्रचालन एवं

अनुरक्षण व्यय विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा कठिन भूभाग (दुर्गम स्थानों) के लिये भी अलग मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) पट्टे पर ली गई संपत्ति तथा उपभोक्ताओं के योगदान से बनी संपत्ति के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय पर आयोग विचार करेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व इसके प्रचालन व अनुरक्षण के लिये है और प्रचालन व अनुरक्षण व्यय का भुगतान भी उसे ही वहन करना हो।

(3) टैरिफ वर्ष हेतु प्रचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने हेतु, पूर्व निश्चित सूचकांक जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा लागत प्रभावित करने वाली अन्य बातों के आधार पर जैसे नेटवर्क विकास, ऊर्जा विक्रय, उपभोक्ता में वृद्धि, अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण, आदि, आयोग द्वारा प्रज्ञा जांच के अधीन, के अनुसार आधार वर्ष के आदर्श प्रचालन व अनुरक्षण अनुज्ञात व्यय को बढ़ाया जाना स्वीकार किया जायेगा।

(4) युद्ध, विप्लव, विधि में परिवर्तन अथवा इस तरह की संभाव्य घटनाओं के कारण प्रचालन व अनुरक्षण प्रभार में वृद्धि पर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है ।

(5) अनुज्ञात प्रचालन व अनुरक्षण में की गई बचत का प्रतिधारण करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी। उसी तरह, अनुज्ञप्तिधारी को उस वर्ष हेतु अनुज्ञात प्रचालन व अनुरक्षण व्यय से अधिक व्यय करने पर, क्षति का वहन स्वयं करना होगा ।

18. अवमूल्यन

(1) टैरिफ प्रयोजन हेतु अवमूल्यन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु, अस्तियों की ऐतिहासिक लागत अर्थात् वास्तविक व्यय तक सीमित अनुमोदित/स्वीकृत पूंजी लागत, आधार मूल्य होगा।

परन्तु यह कि निर्मित अस्तियों की पूंजी लागत तथा 1/4/2005 को चल रहे कार्यों को अनुमोदित समझा जायेगा; तथा

अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु उपभोक्ता का योगदान अथवा पूंजी/अनुदान आदि को अस्तियों के मूल्य से अपवर्जित किया जावेगा।

(2) विदेशी मुद्रा के लिये जाने के समय तत्समय में प्रचलित विनियम दर के अनुसार रूपयों में विदेशी मुद्रा की राशि को अनुमोदित /स्वीकृत लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) इस विनियम के परिशिष्ट में दर्शायी गयी दर पर आस्तियों के उपयोगी जीवन पर सरल रेखा रीति के अनुसार अवमूल्यन की वार्षिक गणना की जायेगी। इन दरों का उल्लेख केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत दर की शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2004 में किया गया है। आयोग द्वारा समय–समय पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

(4) परंतु यह कि आस्तियों के जीवन में कुल गिरावट, आस्तियों की मूल लागत के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(5) समस्त ऋण के प्रति–संदाय पर शेष अवक्षय योग्य मूल्य को, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर फैलाया जायेगा।

(6) प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही अवमूल्यन प्रभार्य होगा। वर्ष के भाग हेतु, आस्तियों के प्रचालन के प्रकरण में, अनुपातिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जायेगा।

19. **अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम**

अनुज्ञात अवमूल्यन के अलावा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्न रीति में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम स्वीकार किया जायेगा–

अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (AAD) = खंड 12 के अनुसार ऋण राशि की 1/10 राशि की सीमा तक खण्ड 20 के अनुसार ऋण अदायगी की राशि– अनुसूची के अनुसार अवमूल्यन।

परंतु यह कि अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि, वर्ष तक के संचित प्रतिसंदाय एवं संचित अवमूल्यन के अंतर तक सीमित होगी।

20. **ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार**

(1) संबन्धित डिबेंचर, बन्धपत्र (बांड) या ऋण के अनुबंध की शर्तों और निबन्धन के अनुसार, प्रतिसंदाय की अनुसूची पर सम्यक रूप से विचार करके बकाया ऋणों की ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार की गणना की जायेगी।

30% के ऊपर की अंशपूंजी, जिसे ऋण माना जायेगा, पर अनुज्ञप्तिधारी की ऋण योजना की भारित औसत दर के अनुसार ब्याज दर लगाई जायेगी।

परंतु यह कि रिनिगोशिएटेड ऋण अनुबंध के ब्याज तथा वित्त प्रभार पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि उनका परिणाम 'उच्चतर प्रभार हो।

परन्तु यह और कि प्रगति में कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार को इसमें शामिल नहीं किया जावेगा तथा उसे पूंजी लागत के भाग के रूप में माना जावेगा।

(2) अधिस्थगन अवधि का लाभ लेने की दशा में, अधिस्थगित वर्षों में, टैरिफ में अनुमत अवमूल्यन को, इन वर्षो में पुर्नभुगतान माना जावेगा और ब्याज की गणना के उद्देश्य से अवमूल्यन की सीमा तक ऋण पूंजी में कमी की जायेगी।

(3) ऋण पर ब्याज तथा ऋण के विनियम से प्राप्त लाभ उपभोक्ताओं को उस अनुपात में दिया जायेगा, जैसा आयोग तय करे।

21. **कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार**

खण्ड 15 के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर, ब्याज दर की गणना आदर्श आधार पर की जावेगी। यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी अभिकरण से कार्यकारी पूंजी ऋण नहीं लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण आदर्श अंकों से अधिक हो, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज आदर्श आधार के अनुसार होगा।

22. **प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज दर**

अनुज्ञप्तिधारी के पास उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 में यथा–विनिर्दिष्ट दर पर दिया जायेगा।

23. **डूबत एंव शंकास्पद रकम**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्व वर्ष में डूबत व शंकास्पद रकम को वास्तव में बट्टे खाते में डालने के अधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्ति योग्य राशि के 1 प्रतिशत तक की राशि को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान पर आयोग विचार कर सकेगा।

24. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु, लीज अनुबंध के अनुसार पट्टा प्रभार पर विचार किया जावेगा, बशर्ते आयोग उन्हें युक्ति संगत समझे।

25. आकस्मिक रक्षित धन

(1) प्रारंभिक सकल नियत आस्तियों के 0.5 प्रतिशत तक आकस्मिक रक्षित राशि के सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के प्रावधान हेतु आयोग विचार कर सकता है। इस प्रकार निर्मित आकस्मिक रक्षित राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा स्थितियों में दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों को बदलने की लागत की पूर्ति करने में होगा।

(2) इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को इस रक्षित निधि में मिलाया जायेगा।

(3) आयोग की पूर्वानुमति से ही इस रक्षित निधि से पैसा निकालने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को होगा।

(4) वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कमी के रूप में, आयोग द्वारा तय नियंत्रण अवधि के अंत में, इस रक्षित निधि का कुछ भाग उपभोक्ताओं को वापस लौटाने की अनुमति आयोग दे सकता है।

(5) इस रक्षित निधि के धन को रक्षित अंशपूंजी का भाग नहीं माना जावेगा।

26. विदेशी विनियम दर विचलन

विदेशी मुद्रा के ऋणों, जिन्हें रूपयों में नहीं बदला गया हो, सुसंगत वर्ष में ऋण भुगतान या ब्याज के भुगतान के कारण हुए अतिरिक्त रूपयों के दायित्व को ग्राह्य किया जा सकेगा; बशर्ते कि यह प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनियम दर विचलन से उत्पन्न हुआ हो न कि अनुज्ञप्तिधारी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों की चूक के फलस्वरूप हो। यह विचलन नियत भुगतान तिथि के बाद सातवें दिन की विनियम दर से अधिक नहीं होगा।

27. आय पर कर

(1) अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त व्यवसाय की आय–सरिता पर यदि कोई आयकर हो तो उसे व्यय माना जावेगा और टैरिफ में वसूल योग्य होगा। तथापि, अनुज्ञप्त व्यवसाय को छोड़कर, किसी अन्य आय पर लगे कर को टैरिफ के घटक के माध्यम से उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जायेगा। इस तरह की अन्य आय पर कर का संदाय अनुज्ञप्तिधारी को करना होगा।

(2) आय पर कर, यदि यथार्थतः देय है तो यह, प्रोत्साहन को छोड़कर, अनुज्ञात इक्विटी के रिटर्न पर कर तक सीमित होगा।

(3) कर हालिडे तथा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार वित्तीय हानियों को भविष्य के वर्षों में प्रत्यायोजन किया जा कर उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जायेगा।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाई गई विवरणी और निर्धारित आयकर में कोई कम या अधिक भुगतान की राशि, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, का समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

28. आयकर का अनन्तिम निर्धारण तथा एफ.ई.आर.वी.

टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु आयकर तथा एफईआरवी का अनंतिम आँकलन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा और खण्ड 26 एवं 27 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक आंकड़ों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा।

29. साम्या इक्विटी पर प्रत्यावर्तन

(1) खंड 12 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु निकाली गई भुगतान योग्य साम्या पूँजी पर केन्द्रीय आयोग द्वारा पारेषण के लिये अधिसूचित प्रत्यावर्तन दर, अपनाई जायेगी। तथापि, ऊँचे जोखिम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विनिश्चित समुचित संशोधित दर भी अपनाई जा सकेगी

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय प्राप्त प्रीमियम तथा मुक्त संचिति में से निकाले गये आंतरिक स्त्रोत, यदि कोई हो तो, जो कि परियोजना फण्डिंग में लगाये गये हैं, उसे भी पूंजी पर प्रत्यावर्तन की गणना हेतु सम्मिलित किया जायेगा, बशर्ते कि ऐसे प्रीमियम की राशि तथा आंतरिक स्त्रोतों का उपयोग वास्तव में वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय के लिये किया गया हो।

(3) विदेशी विनियम में निवेशित पूंजी पर निर्धारित सीमा के अनुरूप पूंजी पर प्रत्यावर्तन उसी विदेशी मुद्रा में दिया जायेगा तथा इसकी राशि का अवधारण भारतीय रूपयों में बिलिंग की नियत तिथि पर प्रचलित विदेशी विनियम दर के आधार पर किया जायेगा।

30. वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(1) अनुज्ञप्तिधारी का कुल वार्षिक व्यय तथा अंशपूंजी प्रत्यावर्तन की गणना, खण्ड 29 में उल्लिखित अनुज्ञात व्यय तथा प्रत्यावर्तन के आधार पर की जायेगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता, निम्नलिखित को उसके कुल व्यय में से घटा कर, निकाली जायेगी तथा उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन प्रत्यावर्तन की गणना की जायेगी:–

(ए) खंड 30 के अनुसार अन्य आय की राशि; तथा

(बी) किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता वर्ग के लिये अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत आर्थिक सहायता के अतिरिक्त राज्य शासन से प्राप्त कोई अनुदान।

(3) अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के फलस्वरूप आवश्यक सुधारों को वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित किया जावेगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर ऐसे विचलन का प्रभाव वृहद् होने की दशा में, इसकी वसूली एक से अधिक वर्षों में, जैसा आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, की जायेगी।

31. राजस्व का अनुमान

विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू विद्युत दर तथा उन्हें विक्रित की जाने वाली विद्युत की मात्रा के आँकलन के आधार पर उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति से अनुज्ञप्तिधारी की आय अनुमानित की जायेगी।

32. अन्य आय

अन्य आय में निम्न शामिल होंगे:–

(1) विनियोजन से आय;

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एंव आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004 में सामान्य प्रभारों की अनुसूची में वर्णित प्रभारों के लगाये जाने से अन्य गैर–टैरिफ आय;

(3) मुक्त उपयोग के उपभोक्ताओं से व्हीलिंग प्रभार;

(4) अधिनियम की धारा 39, 40 एंव 42 के अनुसार मुक्त उपयोग के उपभोक्ताओं पर लगने वाले प्रभार, अतिरिक्त प्रभार तथा देरी से भुगतान पर अधिभार से होने वाली आय;

(5) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को अधिनियम की धारा 51 में, आयोग द्वारा अधिकृत सीमा तक, आय माना जायेगा।

33. लाभ का बंटवारा

किसी भी वर्ष में वार्षिक राजस्व आवश्यकता से अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ आय अधिक होने पर, अनुमोदित उचित आय से अधिक हुई अतिरिक्त आय को आयोग निम्नानुसार अनुज्ञात कर सकता है:–

(ए) ऐसी राशि का आधा भाग अनुज्ञप्तिधारी अपने पास इक्विटी के रूप में रख सकेगा, या अंशधारकों को लाभांश के रूप में दिया जा सकेगा;

(बी) जैसा आयोग निर्देशित करे, भावी वर्षों में वार्षिक राजस्व आवश्यकता घटाने के लिये टैरिफ संतुलन रक्षित फण्ड के रूप में आधी राशि रखी जा सकेगी।

34. अतिरिक्त राशि का लौटाना

आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, प्रभार वसूल करेगा। आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक प्रभार यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी वसूलता है तो अतिरिक्त रकम को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, किन्हीं अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक दर पर मय ब्याज उस व्यक्ति को लौटाया जायेगा, जिसने यह अतिरिक्त प्रभार पटाया है।

<u>टैरिफ के सिद्धांत</u>

35. बहुवर्षीय टैरिफ

(1) पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिये, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ लागू कर सकेगा। तथापि, जानकारी के अभाव तथा व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए आरम्भिक नियंत्रण अवधि तीन वर्ष की कालावधि हो सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई जानकारी के सम्यक मूल्यांकन तथा सत्यापन के बाद, आयोग, आधार वर्ष के राजस्व तथा टैरिफ का अवधारण कर सकेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली स्वीकार योग्य लागतों को निर्धारित करने हेतु, आयोग, विशेषज्ञों की मदद ले सकेगा।

(4) लागतें जो नियंत्रण योग्य नहीं हैं, उन्हें टैरिफ में अनुमत किया जायेगा जिसमें निम्न (परंतु केवल निम्न तक सीमित नहीं) शामिल होगें:–

(ए) ईंधन की लागत;

(बी) मुद्रा स्फीति की वजह से लागत;

(सी) कर एवं शुल्क;

(डी) प्राकृतिक आपदा एवं सूखा जैसी विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के प्रकरण में जलीय एवं तापीय विद्युत के अनुपात में बदलाव सहित आधार स्तर से प्रति युनिट विद्युत क्रय के मूल्य में फेर–बदल।

(5) संचालन एवं संधारण की लागत नियंत्रण योग्य लागत होगी और आधार वर्ष के टैरिफ अवधारण में बतलायी गयी अन्य रीति या बढ़ोतरी के सूचकों पर आधारित होगी।

(6) आधार वर्ष के विद्युत ह्रास के स्तर के अनुसार, नियंत्रण अवधि के दौरान, तकनीकी एवं वाणिज्यिक ह्रास का लक्ष्य निर्धारित किया जायगा और ऐसे स्तर में विद्युत ह्रास के सही माप के लिये मीटरिंग प्रबंध के पूर्ण होने से फेर–बदल का व्यवस्थापन करने की गुंजाइश रखी जायगी। लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहने के कारण हुई किसी वित्तीय हानि का वहन अनुज्ञप्तिधारी करेगा और लाभ की भागीदारी, जैसा आयोग निश्चित करे, उपभोक्ताओं के साथ करनी होगी।

(7) वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त, नियंत्रण अवधि के समाप्त होने पर बहुवर्षीय टैरिफ, प्रणाली के परिपालन की विस्तृत समीक्षा की जायगी।

36. विद्युत सेवा का मूल्य

विभिन्न श्रेणियों/वोल्टेज के टैरिफ क्रमिक रूप में विशेष वोल्टेज पर विशेष श्रेणी को विद्युत प्रदाय करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी की लागत को प्रकट करने वाले होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लगी समस्त लागत का सावधानी पूर्ण आवंटन विशेष श्रेणी के विद्युत प्रदाय मूल्य का निर्धारण करने का आधार होगा। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को अपने क्षेत्र के विद्युत सेवा के सही मूल्य का अध्ययन करा कर आयोग को सौंपना होगा। श्रेणीवार/वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय मूल्य की गणना हेतु प्रदाय के घंटे, लोड फैक्टर, वोल्टेज, तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों की सीमा आदि जैसे घटकों को शामिल किया जायेगा। श्रेणीवार/वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय के सही मूल्य को निकालने हेतु जानकारी की उपलब्धता के अभाव में विद्युत दर के अवधारण हेतु विद्युत प्रदाय के औसत मूल्य का, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान क्रास सब्सिडी क्रमशः कम होगी, उपयोग किया जायेगा।

37. टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

सरल, व्यापक तथा तर्कसंगत टैरिफ संरचना विकसित करने के उद्देश्य से, आयोग, उपभोक्ताओं की श्रेणियों तथा उपश्रेणियों के उपयुक्त विलय/अलग करने का सहारा टैरिफ निर्धारण में ले सकता है।

38. टैरिफ के घटक तथा टीओडी टैरिफ

(1) मांग पक्ष प्रबंधन एवं विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु अलग–अलग नियत एवं परिवर्तनीय प्रभारों का द्विभागीय टैरिफ तथा पीक एवं आफ–पीक घंटों हेतु भेदक टैरिफ बनाया जा सकेगा।

(2) टीओडी टैरिफ के कार्यान्वयन की समय सीमा तथा उपभोक्ताओं का वृहद वर्गीकरण आयोग द्वारा बताया जायेगा। भेदक टैरिफ बनाते समय, आयोग, पीक और आफ–पीक समयावधि भी बता सकेगा।

(3) विशेषकर उन उपभोक्ता श्रेणियों, जिनमें वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में मीटर नहीं लगे हैं, मीटर लगाने और मीटर में दर्ज की गई खपत के अनुरूप बिल करने को बढ़ावा देने हेतु, आयोग, प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधांन कर सकेगा। मीटर वाले टैरिफ और प्रोत्साहन राशि के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

39. पावर फैक्टर एवं लोड फैक्टर

प्रचालन क्षमता में दक्षता और अधिकतम क्षमता के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को, उच्च पावर फैक्टर और लोड फैक्टर रखे जाने पर, आयोग, रिबेट दे सकेगा। बढ़े हुए पावर फैक्टर का अपने आप लाभ देने के उद्देश्य से, आयोग, के.डब्ल्यू. एच. टैरिफ को के.वी.ए..एच. टैरिफ, में बदल सकेगा। तथापि, के.वी.ए.एच. बिलिंग अपनाये जाने के बावजूद भी मांग प्रभार लगना जारी रहेगा।

40. क्रास सब्सिडी

(1) उपभोक्ता की एक श्रेणी की आपूर्ति की लागत तथा उस उपभोक्ता श्रेणी से वसूली (उगाही), क्रास सब्सिडी का अनुमान करने हेतु आधार होगा।

(2) आयोग, टैरिफ का अवधारण इस रीति में करेगा कि इसे उत्तरोत्तर आपूर्ति लागत की ओर ले जाया जाय तथा क्रास सब्सिडी घटाते हुए, आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में इसे विलुप्त किया जायेगा।

तथापि, जब तक किसी उपभोक्ता श्रेणी का टैरिफ उस श्रेणी की आपूर्ति लागत के बराबर न हो और क्रास सब्सिडी दी जानी हो तो ऐसी श्रेणी का टैरिफ उस श्रेणी को आवंटित क्रास सब्सिडी के ध्यान में रखकर अवधारित किया जायेगा।

41. व्हीलिंग प्रभार

(1) उपभोक्ता श्रेणी का व्हीलिंग प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के शुद्ध "वायर व्यवसाय" की लागत पर आधारित होगा। इस तरह विद्युत क्रय लागत व उपभोक्ता के प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को छोड़कर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता के समस्त मदों की लागत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वायर व्यवसाय हेतु लागत होगी।

(2) आगामी टैरिफ की अवधि में प्रक्षेपित विद्युत विक्रय की मात्रा (युनिटों में) और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के द्वारा व्हील की गई विद्युत को लेकर कर व्हीलिंग प्रभार की गणना की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आगामी वर्ष में व्हील की जाने वाली विद्युत मात्रा को विनिर्दिष्ट करना होगा।

(3) इस प्रकार से निकाले गये व्हीलिंग प्रभार को आपूर्ति वोल्टेज-वार प्रभाजित किया जायेगा। जब तक ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो, वोल्टेज पर ध्यान दिये बिना, व्हीलिंग प्रभार को समान दर पर निकाला जायेगा।

(4) व्हीलिंग प्रभार, रूपये प्रति किलोवाट हावर अथवा रूपये प्रति मेगावाट प्रतिदिन में एकल-भाग प्रभार होगा। तथापि, बाद के प्रक्रम में आयोग द्वि-भाग टैरिफ अनुमोदित कर सकता है।

(5) जिस वोल्टेज पर विद्युत का मुक्त उपयोग किया जाना है, उस वोल्टेज की वितरण प्रणाली के आदर्श ह्रास को विद्युत मात्रा के रूप में वहन करना होगा और इसे मुक्त उपयोग के ग्राहक के विद्युत खाते में से घटाया जायेगा।

42. परिवर्तनीय लागत समायोजन

(1) विद्युत उत्पादन की ईंधन संबंधी लागत या विद्युत क्रय, जल प्रभार के भुगतान, कर ढांचे में परिवर्तन तथा कोई अन्य अनवेक्षित व पूर्वानुमान से परे लागत, जिसका टैरिफ अवधारण के समय संज्ञान नहीं लिया जा सका, से अतिरिक्त प्रभारों की गणना हेतु, आयोग, समय-समय पर परिवर्तनीय लागत समायोजन सूत्र विर्निदिष्ट करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रभार की विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार गणना कर सकता है और आयोग के विधिवत अनुमोदन पश्चात् ऐसी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से उसकी वसूली कर सकता है।

43. थोक प्रदाय टैरिफ

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी अथवा/और विद्युत उत्पादक से विद्युत क्रय कर सकता है। एक समान चिल्हर टैरिफ तथा उपभोक्ता मिक्स के कारण उपलब्ध विभिन्न स्तर की क्रास सब्सिडी को सुनिश्चित करने हेतु, आयोग भिन्न

थोक प्रदाय टैरिफ रख सकेगा। तथापि, इस स्थिति का पुनर्विलोकन आयोग समय–समय पर करेगा।

44. सब्सिडी का प्रावधान

(1) अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन यदि किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी देना तय करता है तो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, ऐसी आर्थिक सहायता से प्रभावित होने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, राज्य शासन अग्रिम में राशि का भुगतान मुआवज़े के रूप में करेगा।

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 65 में बताये प्रावधानों के अनुसार यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य शासन के सब्सिडी देने के निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं होगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश के दिनांक से, आयोग द्वारा निश्चित किया गया टैरिफ लागू होगा।

(2) विधि के प्रावधान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार करे बिना, आयोग प्रथमतः टैरिफ अवधारित करेगा। इसके बाद, उपभोक्ताओं की संबन्धित श्रेणियों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार कर, सब्सिडाईज्ड टैरिफ निकाला जायगा।

45. अनुज्ञप्तिधारी का कार्य निष्पादन

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण विचार योग्य बात होगी तथा आयोग द्वारा अधिलिखित मानक निष्पादन विनियम के पालन की सीमा से इसकी विवेचना की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी के कार्य निष्पादन के आधार पर, आयोग, लाभ और दण्ड दिये जाने की व्यवस्था पुनःस्थापित कर सकेगा।

अध्याय–4
प्रकीर्ण

<u>अन्तःकालीन उपबन्ध</u>

46. ये विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम की धारा 172 के अधीन एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत राज्य विद्युत मण्डल पर लागू होंगे। उक्त धारा 172 के प्रावधानों के अनुरूप जबतक मण्डल कार्यरत रहेगा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की लागत को एक साथ ध्यान में रखकर फुटकर टैरिफ अवधारित किया जायेगा।

47. व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो पर्याप्त आंकड़ो के अभाव में न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हों।

(2) इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परंतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

(3) स्पष्टतः या परोक्ष रूप से आयोग द्वारा किसी मामले को निपटाने में अथवा अधिनियम के अंतर्गत किसी शक्ति का उपयोग करने, जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनें हैं, ये विनियम अवरोधक नहीं होंगे, तथा ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों को उस रीति में, जिसे आयोग उचित समझे, निपटायेगा।

48. कठिनाई हटाने शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कार्य हाथ में ले या स्वयं कर सकता है अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कार्य करने या उपायों को करने के निर्देश दे सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाई निराकरण के प्रयोजन हेतु आवश्यक व समीचीन हैं।

49. संशोधन शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंधो में परिवर्तन, परिवर्धन, उपांतरण या संशोधन किसी भी समय आयोग कर सकता है। यदि आवश्यक समझा गया तो राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति को ध्यान में रखते हुये, विनियमों में संशोधन किया जा सकता है।

नोटः—इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

परिशिष्ट

अवमूल्यन अनुसूची
आस्तियां विवरणे

1	2	3	4	5
ए.	पूर्ण हक अंतर्गत भूमि स्वामित्व	अपरिमित	—	
बी.	पट्टे में ली गई भूमि			
	(ए) भूमि में निवेश हेतु	पट्टे की अवधि अथवा पट्टा समनुदेशन पर शेष अवधि।	—	
	(बी) क्लियरिंग स्थल की लागत हेतु	पट्टे की अवधि स्थल क्लियरिंग तिथि पर	—	
सी	अस्तिसां खरीदी गई नई			
	(ए) संयंत्र नीव सहित उत्पादन केन्द्र में संयंत्र व मशीनरी:—			
	(1) जल विद्युत	35	2.57	90
	(2) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. व वेस्ट हीट रिकव्हरी बायलर्स / संयंत्र	25	3.60	90
	(3) डीजल—विद्युत व गैस संयंत्र	15	6.00	90
	(बी) कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग जल प्रणाली	25	3.60	90
	(सी) हाइड्रालिक वर्क्स फार्मिंग पार्ट आफ हाइड्रो—इलेक्ट्रिक सिस्टम इन्क्लूडिंग			
	(1) बांध, स्पीलवेज वियर्स, नहर रिइन्फोर्टर्ड कान्क्रीट फलूम्स व साइफन्सै	50	1.80	90
	(2) रिइफोर्स कान्क्रीट पाइप लाइन, स्लूस गेट, सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइन, स्टील (सर्ज टैंक) हाइड्रालिक कन्ट्रोल वाल्व व अन्य हाइड्रालिक वर्क्स।	35	2.57	90
	(डी) निर्माण व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स—स्थायी प्रकृति, जिसका विवरण ऊपर नहीं है:—			
	(1) कार्यालय व प्रदर्शन कक्ष	50	1.80	90
	(2) ताप—विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	25	3.60	90
	(3) जल—विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	35	2.57	90
	(4) लकड़ी ढांचा जैसा अस्थायी उत्पादन	5	18.00	90
	(5) कच्ची सड़क से भिन्न सड़क	50	1.80	90
	(6) अन्य	50	1.80	90
	(ई) ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स उप—केन्द्र उपस्कर व अन्य नियत उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):—			
	(1) ट्रांसफार्मर्स (फाउन्डेशन सहित) 100 किलो वोल्ट एम्पियर्स व उससे अधिक युक्त	25	3.60	90
	(2) अन्य	25	3.60	90
	(एफ) स्विचगेयर, केवल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
	(जी) लाइटनिंग अटेस्टर्स :			

1	2	3	4	5
	(1) केन्द्र टाइप (2) खंभा टाइप (3) सिन्क्रोनस कॅन्डेन्सर	25 15 35	3.60 6 2.57	90 90 90
	(एच) बैटरियाँ (1) जायंट बाक्सेज व डिसकनेक्टेड बाक्सेज सम्मिलित भूमिगत केबल (2) केबल डक्ट प्रणाली	5 35 50	18 2.57 1.80	90 90 90
	(आई) सपोर्ट सम्मिलित ओव्हरहेड लाइन (1) 66 किलोवाट से उच्चतर नाममात्र वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात आपरेटिंग पर लाइन (2) 13.2 किलोवोल्ट पर उच्चतर परंतु 66 किलो वाट से अधिक नहीं, नाममात्र वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट आपरेटिंग पर लाइन (3) इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट आलंब (4) संसधित लकड़ी आलंब	 35 25 25 25	 2.57 3.60 3.60 3.60	 90 90 90 90
	(जे) मीटर्स–	15	6.00	90
	(के) स्वचालित यान	15	18.00	90
	(एल) वातानुकूलित संयंत्र (1) स्थैतिक (2) सुवाह्य	 15 05	 6.00 18.00	 90 90
	(एम) (1) कार्यालयीन फर्नीचर व फिटिंग (2) कार्यालय साज समान (3) आंतरिक वायरिंग सहित फिटिंग व उपकरण (4) सड़क लाइट फिटिंग	15 15 15 15	6.00 6.00 6.00 6.00	90 90 90 90
	(ओ) किराये पर दिया गया उपकरण:– (1) मोटर से भिन्न (2) मोटर	 5 15	 18.00 6.00	 90 90
	(पी) संचार उपकरण (1) रेडियो तथा उच्चतर फ्रिक्वेंसी केरियर प्रणाली (2) टेलिफोन लाइन व टेलिफोन	 15 15	 6.00 6.00	 90 90
	(क्यू) सेकण्ड हेंड (पुराना) क्रय आस्तियां तथा वे अस्तियां अन्यथा अनुसूची उपलब्ध नहीं हैं।			

Raipur, the 17th February 2006

No.12/CSERC/2006. In exercise of the powers conferred on it by Section 45,61and 62 read with Section 181(zd) of the Electricity Act 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations related to terms and conditions for determination of tariff.

CSERC (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TARIFF) REGULATIONS, 2006

CHAPTER - 1

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**

(1) These Regulations shall be called The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2006.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette of the Government of Chhattisgarh.

(3) The Regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

2. **Scope and extent of application**

(1) These Regulations shall apply in all cases where electricity tariff is to be determined by the Commission based on capital cost.

(2) However, where tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government, the Commission shall adopt such tariff, as laid down in section 63 of the Act.

3. **Definitions**

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

(b) "Bank rate" means the bank rate of Reserve Bank of India as on 1st April of the relevant year.

(c) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission.

(d) "Commission" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC).

(e) "Contracted Power" means the power in MW, which the distribution licensee has agreed to wheel on his distribution system.

(f) "Date of operation" in case of a distribution licensee, means the date of charging his electric lines or substations to its declared voltage level. In cases where line(s)/substation(s) are declared ready for charging but the licensee is not able to charge for reasons not attributable to the licensee. 'date of operation' in respect of such line(s)/substation(s) shall be reckoned as seven days after the line(s)/substations(s) have been declared ready for charging.

(g) "Declared Voltage" means the voltage as specified under Rule 54 of the Indian Electricity Rules, 1956.

(h) "Distribution loss" means the energy loss in the distribution system of a licensee.

(i) "Licensee" means a person who has been granted a license under section 14 and includes a person deemed to be a licensee under the same Section of the Act.

(j) "SLDC" means the State load despatch centre.

(k) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

(l) "Tariff" means the schedule of charges for bulk supply, wheeling and retail supply of electricity together with terms and conditions for application thereof.

(m) "Tariff period" means the period for which tariff and/or the Annual Revenue Requirement is determined by the Commission under these Regulations.

(n) "Year" means the financial year ending on 31st March, and

(i) "Current Year" means the year in which the statement of annual accounts or application for determination of tariff is filed;

(ii) "Ensuing Year" means the year next following the current year;

(iii) "Previous Year" means the year immediately preceding the current year.

(2) Words or expressions used in these Regulations and not defined shall bear the same meaning as in the Act and the Regulations made by the Commission.

CHAPTER - 2

Tariff for Generating Company and Transmission Licensee

4. **Application for determination of tariff**

The Generating company/ Transmission licensee shall make an application every year for determination of tariff (tariff petition) in the manner and in the formats as laid down in the CSERC (*Details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application*) Regulations, 2004. The formats may be modified by the Commission from time to time.

5. **Terms and Conditions**

(1) The Commission shall be guided by the principles as laid down in section 61 (a) to (h) of the Act, National Electricity Policy, National Tariff Policy and follow the principles and methodologies specified by the Central Commission in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, in the determination of tariff for Generating company (thermal and hydel) and for a Transmission licensee.

(2) The Commission may follow relaxed norms in determination of tariff including the norms of target availability, plant load factor etc., than those contained in the Central Commission Regulations for the existing generating stations, based on the size and age of the stations and historical performance records etc.

(3) In pursuance of the National Electricity Policy and the provisions of Section 61(h) of the Act, the Commission may also follow relaxed norms in determination of tariff of electricity generated by the method of co-generation and generation of electricity from renewable sources of energy.

CHAPTER - 3

Tariff for Distribution Licensee

6. **Application for determination of tariff**

A distribution licensee shall make an application every year for determination of tariff (tariff petition) in the manner and in the formats as laid down in the CSERC (*Details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application*) Regulations, 2004. The formats may be modified by the Commission from time to time.

7. **Terms and Conditions**

The Commission shall be guided by the principles as laid down in section 61 (a) to (h) of the Act, the National Electricity policy and National Tariff Policy in the determination of tariff for the distribution licensee.

8. **Sales Forecast**

(1) The licensee shall submit restricted demand (in MW) and unrestricted demand (in MW) for all consumer categories together and sale of electricity (in MU) for different categories of consumers in his area of supply for the previous year and forecasts for the current year and the ensuing year. The forecasts for category-wise sale of electricity shall generally be worked out on the basis of 5 years' CAGR.

(2) The sales forecast for unmetered categories shall be validated with norms approved by the Commission on the basis of a proper study carried out by the licensee.

(3) The Commission shall examine the forecasts for their reasonableness based on growth in the number of consumers, consumption, losses and demand of electricity in previous years and anticipated growth in the next year and any other factor, which the Commission may consider relevant and approve the sales forecast with such modifications as deemed fit.

(4) Sale of electricity, if any, to electricity traders or other distribution licensees shall be separately indicated.

(5) The distribution licensee shall also indicate category wise open access customers. The demand and energy wheeled for them shall be shown separately for

(a) supply within its area of supply and

(b) supply outside its area of supply.

9. **Monitoring of sale of electricity to consumers**

(1) On the basis of approved sales forecast, the licensee shall work out the requirement of monthly sales to different consumer categories, taking into account seasonal variations in demand in a year.

(2) The licensee shall monitor the sales to different consumer categories and ensure that supply to any category of consumer is not unduly restricted.

(3) If for any abnormal situation like drought, supply to any category of consumer is to be varied, the licensee shall obtain approval of the Commission.

10. Distribution losses

(1) The distribution loss at a particular voltage level shall be the difference between the energy injected into the distribution system at that voltage level and the sum of energy sold to all its consumers at that level and also energy delivered to voltage level below that particular level. Energy sold shall be the sum of metered sales and assessed unmetered sales based on approved norms. However, the licensee may submit the distribution loss for the total distribution system.

(2) To set the base line of distribution loss, the Commission may either require the licensee to carry out proper loss estimation studies under its supervision, or initiate a study itself.

(3) The study shall segregate losses into technical loss (i.e., ohmic/core loss in the lines, substations and equipments) and commercial loss (i.e, unaccounted energy due to metering inaccuracies/inadequacies, pilferages of energy etc.), supply voltage-wise and consumer category-wise.

(4) The Commission shall approve a realistic and achievable loss target for the ensuing year based on the study. In the absence of such study, the Commission shall set such target on the basis of information on line losses submitted by the licensee as it considers reasonable.

(5) The Commission may also fix targets, both long-term and short-term, for loss reduction to bring down the loss level gradually to acceptable norms of efficiency.

(6) To generate local consensus for effective action for better governance, area/ locality specific surcharge for greater ATC loss could be considered. The Commission may also encourage suitable local area based incentive and disincentive schemes for the staff of the utilities linked to the reduction of losses, as per the provision of para 8.2.1(2) of the National Tariff Policy.

(7) The distribution licensee shall be allowed to share a part of the financial gains derived from achieving higher loss reduction vis-a-vis the target fixed by the Commission. The Commission shall decide the extent of share.

(8) The distribution licensee shall bear the losses on account of its failure to achieve the target set by the Commission.

11. Estimation of requirement of purchase of power

(1) Based on the estimated energy sales forecast by the licensee and the approved distribution losses for the ensuing year and the transmission losses approved by the Commission for the transmission licensee, the requirement of electricity to be purchased shall be worked out.

(2) The Commission shall scrutinize and approve the requirement for purchase of power with such modifications as deemed fit for the ensuing year.

12. Debt-equity ratio

(1) In case of a new distribution line or substation commissioned or capacity expanded on or after 1.4.2005, the debt and equity in the capital cost of such a project shall be considered in the ratio of 70:30 for the purpose of determination of tariff.

Provided that where equity employed is more than 30%, the amount of equity for the purpose of tariff shall be limited to 30% and the balance amount shall be considered as loan. The interest rate applicable on the equity above 30%, treated as loan, has been specified in clause 20.

Provided that where actual equity employed is less than 30%, the actual equity shall be considered.

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider equity higher than 30% for determination of tariff, where the distribution company is able to establish to the satisfaction of the Commission that the deployment of equity higher than 30% was in the interest of general public.

(2) In case of investments made prior to 1.4.2005 for the existing distribution system, the debt-equity ratio shall be accepted on the basis of audited accounts. In case the audited accounts for the year 2004-05 are not available, the distribution licensee shall submit the unaudited accounts for that year along with the latest audited accounts for any of the preceding years available.

13. Capital cost and capital structure

(1) Subject to prudence check by the Commission, the actual capital expenditure as on the date of operation shall form the basis for determination of tariff.

(2) The capital cost shall include capitalised initial spares upto 1.5% of the original project cost.

(3) Where power purchase agreement or transmission or wheeling agreement provides for a ceiling on the capital cost, the capital cost to be considered shall not exceed such ceiling.

(4) In case of existing distribution system, the capital cost would be based on the audited accounts. In case the audited accounts are not available, it will be decided based on the provisional accounts.

(5) Scrutiny of the cost estimates by the Commission shall be with regard to the reasonableness of the capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, and such other matters for determination of tariff.

(6) Swapping of equity and loans shall be permitted, provided it does not affect the tariff adversely and the benefits accruing from such swapping is shared between the licensee and the consumers in the year following the year of such swapping, in a ratio as may be specified by the Commission.

(7) Restructuring of capital cost, in terms of relative share of equity and loan, shall be permitted provided it does not affect the tariff adversely in the subsequent period. Any benefit from such restructuring shall be passed on to the consumers in a ratio as may be specified by the Commission.

(8) The licensee shall file in accordance with the guidelines issued by the Commission, a detailed capital investment plan along with the financing plan for the ensuing year for meeting the requirement of load growth, reduction in distribution losses, improvement in quality of supply, reliability, metering, consumer services etc. The approved capital investment plan and the cost corresponding to the approved plan shall be taken into account in assessing the revenue requirement.

14. Additional capitalization

(1) The following capital expenditure within the original scope of work actually incurred, after the date of operation, may be considered by the Commission, subject to prudence check:

(a) Deferred liabilities.

(b) Works deferred for execution.

(c) Procurement of initial spares included in the original project costs, subject to the ceiling norm laid down in clause 13.

(d) Liabilities to meet award of arbitration or compliance of order or decree of a court.

(e) Expenditure incurred on account of change in law.

(f) Any additional works/ services, which have become necessary for efficient and successful operation of a distribution system but not included in the original capital cost.

Notes

I. Any expenditure admitted on account of committed liabilities within the original scope of work and the expenditure deferred on techno-economic grounds but falling within the original scope of work shall be serviced in the normative debt-equity ratio specified in clause 12.

II. Any expenditure on replacement of old assets shall be considered after writing off the gross value of the original assets from the original capital cost. Capital expenditure on replacement of old assets shall be allowed to the extent of total capital expenditure to be incurred less the scrap value of the old assets which will be available to the licensee.

III. Any expenditure admitted by the Commission for determination of tariff on account of new works, not in the original scope of work, shall be serviced in the normative debt-equity ratio specified in clause 12.

IV. Any expenditure admitted by the Commission for determination of tariff on renovation, modernization, life extension and restoration of

assets damaged due to natural calamities shall be serviced on normative debt-equity ratio specified in clause 12 after writing off the original amount of the replaced assets from the original capital cost.

(2) The impact of additional capitalization on tariff may be considered once in a tariff period.

15. Working capital

Working capital shall consist of:

(a) Operation and maintenance expenses for one month.

(b) Maintenance spares for 2 months based on annual requirement considered at 1% of the gross-fixed assets at the beginning of the year.

(c) Receivables equivalent to 60 days' average billing of consumers.

(d) Receivables equivalent to 60 days' of wheeling charges from open access customers.

Annual Expenses

16. Cost of purchase of power

(1) The licensee shall procure electricity in accordance with provisions of the Regulations/Guidelines made by the Commission in this regard.

(2) The cost of power purchased from generating companies and cost of transmission shall be worked out based on tariff determined by the Commission for generation and transmission.

(3) The cost of purchase of power from traders and other licensees shall be considered based on PPAs subject to sub-clause (1) above.

(4) In case of shortage of power in the short-term, the licensee may procure electricity from any source at a tariff not exceeding the highest rate approved by the Commission.

(5) In case of power purchased from co-generation units and renewable sources of energy, the cost shall be worked out, taking into account the minimum percentage of energy to be purchased from such sources, as per the policy approved by the Commission, if any, for such generators.

(6) For the ensuing year the total power purchase cost for distribution licensee's requirement for sale to its consumers, shall be estimated on the basis of merit order principle.

(7) SLDC charges, if paid separately in addition to charges for usage of network, shall be considered as expenses and included in the power purchase cost for the purpose of tariff determination.

(8) UI charges may be allowed at the average of the allowed power purchase rates. However, higher costs can also be allowed if the Commission is satisfied that such power purchase is required to maintain adequate power supply in the licensee's area.

17. Operation & Maintenance expenses

(1) The operation and maintenance (O&M) expenses comprise of the employee cost, repairs and maintenance (R&M) costs, administrative and general (A&G) costs and other miscellaneous expenses including insurance. The Commission may specify normative O&M expenses for the base year as certain percentage of the capital cost of the distribution system and also may specify separate norms for difficult terrain. The base year, for the purpose of O&M expenses, shall be the tariff year immediately after the notification of these Regulations.

(2) O&M expenses of assets taken on lease and those created out of consumer's contributions shall be considered, if the licensee has the responsibility for its operation and maintenance and bears O&M expenses.

(3) To arrive at the O&M expenses for the tariff year, the normative O&M expenses allowed for the base year shall be escalated on the basis of predetermined indices such as consumer price index, wholesale price index and other cost drivers such as network growth, energy sales, growth in consumer, wage revision of the employees of the licensee etc., subject to prudence check by the Commission.

(4) Increase in O&M charges on account of war, insurgency, and change in laws, or such like eventualities may be considered by the Commission for a specified period.

(5) The licensee shall be allowed to retain the savings against the permitted O&M expenses. Likewise, the licensee shall bear the losses if he exceeds the permitted O&M expenses, for that year.

18. Depreciation

(1) For the purpose of tariff, depreciation shall be computed in the following manner:

The value base for the purpose of depreciation shall be the historical cost of the assets, i.e. actual expenses limited to approved /accepted capital cost.

Provided that the capital cost of assets created and works in progress as on 1.4.2005 shall be deemed to be approved; and the consumers' contribution or capital subsidy/ grant etc. shall be excluded from the values of assets for the purpose of depreciation.

(2) The approved/accepted cost shall include foreign currency funding converted to equivalent rupee at the exchange rate prevalent on the date of foreign currency actually availed.

(3) Depreciation shall be calculated annually as per straight-line method over the useful life of the asset at the rate of depreciation laid down in the **Appendix** to these Regulations. These rates are

as laid down by the CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2004. These may be amended by the Commission from time to time.

(4) Provided that the total depreciation during the life of the asset shall not exceed 90% of the original cost of the asset.

(5) On repayment of the entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balance useful life of the asset.

(6) Depreciation shall be chargeable from the first year of operation. In case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on **pro rata** basis.

19. Advance against depreciation (AAD)

The distribution licensee may be permitted an advance against depreciation (AAD) in addition to allowable depreciation, in the manner given hereunder:

AAD = Loan repayment amount as per clause 20 subject to a ceiling of 1/10th of loan amount as per clause 12 minus depreciation as per schedule.

Provided that Advance Against Depreciation in a year shall be restricted to the extent the cumulative repayment exceeds cumulative depreciation up to that year.

20. Interest and finance charges on loan capital

(1) Interest and finance charges on loan capital shall be computed on the outstanding loans, duly taking into account the schedule of repayment, as per the terms and conditions of relevant agreements of loan, bond or debenture. The interest rate on the amount of equity above 30%, treated as loan, shall be the weighted average rate of the loan schemes of the licensee.

Provided that interest and finance charges of renegotiated loan agreements shall not be considered, if they result in higher charges.

Provided further that interest and finance charges on works in progress shall be excluded and shall be considered as part of the capital cost.

(2) In case any moratorium period is availed of, the depreciation allowed in the tariff during the years of moratorium shall be treated as repayment during those years and the loan capital shall be reduced to the extent of depreciation, for the purpose of calculation of interest.

(3) Any benefit on account of swapping of loan and interest on loan shall be passed on to the consumers in such ratio as may be decided by the Commission.

21. Interest charges on working capital

The rate of interest, on working capital computed as per clause 15, shall be on normative basis. The interest on working capital shall be on normative basis even when the licensee has not taken working capital loan from any outside agency or his working capital loan exceeds the normative figures.

22. Interest charges on security Deposit

Interest charges on security deposits of consumers with the licensee, shall be considered at the rate as specified in the CSERC (Security Deposit) Regulations, 2005.

23. Bad and doubtful debts

The Commission may consider a provision for writing off of bad and doubtful debts of distribution licensee upto 1% of receivables subject to actual writing off of bad and doubtful debts in the previous year in accordance with procedure laid down by the licensee.

24. Lease/ Hire Purchase charges

Lease charges for assets taken on lease by a licensee shall be considered as per lease agreement, provided the Commission considers them reasonable.

25. Contingency reserve

(1) The Commission may consider provisions for contingency reserve up to 0.5% of opening gross fixed assets to be invested in Government securities. The contingency reserve so created shall be utilized to meet cost of replacement of equipment damaged due to accident under force majeure conditions.

(2) The interest on such securities shall be added back to this reserve.

(3) The licensee shall be entitled to draw money from this reserve only with the prior permission of the Commission.

(4) The Commission may allow a part of the reserve to be returned back to the consumers at the end of the control period to be decided by the Commission by way of reduction in the Annual Revenue Requirement.

(5) The amount in this reserve shall not be treated as part of the equity reserves.

26. Foreign Exchange Rate Variation (FERV)

In respect of foreign currency loans, not passed on or swapped as rupee loan, the extra rupee liability towards interest payment and loan repayment actually incurred in the relevant year shall be admissible; provided it directly arises out of foreign exchange rate variation and is not attributable to any lapse of the licensee or its suppliers or contractors. This variation shall not exceed the exchange rate on 7th day after the due date of payment.

27. **Tax on income**

(1) Income Tax, if any, on the income stream of the licensed business of the licensee shall be treated as an expense and shall be recoverable in tariff. However, the tax on any income stream, other than the licensed business, shall not constitute a pass-through component in the tariff. Tax on such other income shall be payable by the licensee.

(2) Tax on income, if actually liable to be paid, shall be limited to tax on return on equity allowed, excluding incentives.

(3) The benefits of tax holiday and the credit for carrying forward losses applicable as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 shall be passed on to the customers.

(4) Any under-recoveries or over-recoveries of tax on income shall be adjusted every year on the basis of return filed and income tax assessment under the Income Tax Act, 1961 as certified by the statutory Auditors.

28. **Provisional assessment of income tax and FERV**

Income tax and foreign exchange rate variation shall be provisionally estimated by the licensee for the purpose of determining tariff and shall be subject to adjustment as per actuals as provided in clauses 26 and 27.

29. **Return on Equity**

(1) The rate of return notified by Central Commission for transmission may be adopted for distribution with appropriate modifications taking into account the higher risks involved as decided by the Commission, on the paid up equity capital determined in accordance with clause 12.

(2) The premium raised by the licensee while issuing share capital and investment of internal resources created out of free reserve, if any, for the funding the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting capital expenditure of the distribution system.

(3) Equity invested in foreign currency shall be allowed a return up to the prescribed limit in the same currency and the payment on this account shall be made in Indian Rupees based on the exchange rate prevailing on the due date of billing.

30. **Annual Revenue Requirement (ARR)**

(1) The total annual expenses and return on equity of the licensee shall be worked out on the basis of expenses and return on equity allowed in terms of clause 29.

(2) The annual revenue requirement of a distribution licensee shall be worked out by deducting the following from its total expenses and return worked out under the sub-clause (1) above:

(a) amount of other income as laid down in clause 32; and

(b) any grant received from the State Government other than the subsidy under section 65 of the Act meant for any consumer or class of consumers.

(3) Necessary corrections on account of reasons beyond the control of the licensee shall be incorporated in the annual revenue requirement. In case the effect of such variation on ARR, caused by force majeure conditions, is large, this may be recovered over a period of more than one year, as may be decided by the Commission.

<u>Revenue Estimation</u> 31. **Tariff Income**

Income from supply of electricity to consumers shall be estimated based on the tariff applicable to different category of consumers and the quantity of electricity estimated to be sold to them.

32. **Other Income**

The other income shall comprise of:

(1) Income from investments.

(2) Other non-tariff income from the levy of charges as provided in the schedule for Miscellaneous Charges and general charges under the CSERC (*Details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application*) Regulations, 2004;

(3) Wheeling charges from open access customers;

(4) Income from surcharge, additional surcharge and late payment surcharge from Open Access Customers under Sections 39, 40 and 42 of the Act;

(5) Revenue from other business shall be treated as income to the extent authorized by the Commission under Sections 51 of the Act.

33. **Profit Sharing**

(1) In case the income of the licensee from tariff is more than its annual revenue requirement in any year, the Commission may allow the licensee to treat the additional income beyond the approved reasonable return, in the following manner:

(a) One half of such amount may be retained by the licensee to be treated as part of equity or may be paid as dividend to the shareholders;

(b) The other half amount may be kept as tariff balancing reserve to be used for reducing the ARR in future years as may be directed by the Commission.

34. **Refund of excess amount**

A licensee shall recover the charges as per the tariff determined by the Commission. If any licensee recovers charges exceeding the tariff determined by the Commission, the excess amount shall be refunded to the person who has paid such excess charges, along with interest equivalent to the bank rate without prejudice to any other liability incurred by the licensee.

Tariff Principles 35. **Multi-Year Tariff (MYT)**

(1) The Commission may implement multi-year tariff for distribution licensees for a control period of five years. However, the initial control period may be of 3 years duration on account of data uncertainties and other practical considerations.

(2) The Commission may determine tariff and revenue for the base year, after proper evaluation and verification of the submissions made by the licensee.

(3) The Commission may seek assistance of experts to determine allowable costs of the licensees for each of the years of the control period.

(4) All the uncontrollable costs shall be allowed as pass through in tariff and these will include (but not limited to) the following:

(a) Cost of fuel;

(b) Costs on account of inflation;

(c) Taxes and duties

(d) Variation in power purchase unit cost from base line level including on account of change of hydro-thermal mix, in case of force majeure and adverse natural events like drought.

(5) The Operation and Maintenance costs shall be controllable cost and shall be based on escalation indices or other mode determined during determination of tariff for the base year.

(6) The target for reduction of technical and commercial losses during the control period shall be determined with reference to the loss level determined for the base year and such level shall have the flexibility to accommodate changes due to completion of metering arrangement for accurate measurement of losses. The financial loss, if any, due to failure to achieve the target shall be borne by the licensee and gain, if any, shall be shared with the consumers as decided by the Commission.

(7) In addition to the annual review, a comprehensive review of implementation of the MYT regime may be undertaken at the end of the control period.

36. Cost to Serve

The tariffs for various categories/voltages shall progressively reflect the licensee's cost to serve a particular category at a particular voltage. Allocation of all costs prudently incurred by the distribution licensee to different category of consumers shall form the basis of assessing cost to serve of a particular category. Every licensee shall provide to the Commission an accurate cost to serve study for its area. The category-wise/voltage-wise cost to serve should factor in such characteristics as supply hours, load factor, voltage, extent of technical and commercial losses etc. Pending availability of information that reasonably establishes the category-wise/voltage-wise cost to serve, average cost of supply shall be used for determining tariffs taking into account the fact that existing cross subsidies will be reduced gradually.

37. Tariff Structure Rationalisation

In determination of tariff the Commission may resort to suitable mergers/demerger of categories and of sub-categories of consumers to evolve a simple, comprehensive and logical tariff structure.

38. Tariff Component and TOD Tariff

(1) To promote demand side management and various energy conservation measures, two part tariffs featuring separate fixed and variable charges and a differential tariff for peak and off-peak hours shall be implemented.

(2) The Commission shall stipulate the broad classification of consumers and timeframe for implementation of TOD tariff. While stipulating differential tariffs, the Commission may also indicate the peak, off-peak periods.

(3) The State Commission may provide incentives to encourage metering and billing based on metered tariffs, particularly for consumer categories that are presently unmetered to a large extent. The metered tariffs and the incentives should be given wide publicity.

39. Power Factor and Load Factor

The Commission may provide rebates to the consumers for maintaining high power factor and load factor to promote efficiency of operation and optimum capacity utilization. The Commission may switch over from KWh tariff to KVAh tariff, which has the inbuilt benefit for a higher power factor. Demand charges shall, however, continue to apply even after switching over to KVAh billing.

40. Cross subsidy

(1) The cost of supply to a category of consumers and realisation from that category of consumers shall form the basis for estimation of cross subsidy.

(2) The Commission shall determine tariff in such a manner it progressively reflects the cost of supply and the cross subsidy is

reduced and eliminated over a period of time as may be stipulated by the Commission. However, till such time the tariff for any category of consumers does not reflect the cost of supply to that category and cross subsidisation is required, the tariff of the subsidised category shall be designed taking into account the cross subsidy allocated to that category.

41. Wheeling charges

(1) The wheeling charges for a consumer category shall be based on the costs of distribution licensee for its pure" wire business". Thus all items of revenue requirement of the distribution licensee excluding cost of power purchase and interest on security deposit from consumers shall be the cost of distribution licensee for his wire business.

(2) The wheeling charges shall be computed taking into account the input quantity of power for the projected units sold and wheeled through the distribution licensee for the ensuing tariff period. For this purpose the licensee has to specify the power to be wheeled in the ensuing year.

(3) Wheeling charges so worked out shall be apportioned supply voltage-wise. However, till adequate information is available, the wheeling charges may have to be determined at a uniform rate irrespective of voltage.

(4) Wheeling charges shall be single part chargeable in Rs. per kWh or Rs. per MW per day. However, the Commission may adopt a two-part tariff at a later stage.

(5) The normative distribution system loss at the voltage at which the open access transaction is undertaken, shall be borne in kind and debitable to energy account of open access customers.

42. Variable cost adjustment

(1) The Commission shall specify from time to time a variable cost adjustment formula for calculation of additional charges for adjustment of tariff on account of variation in fuel related costs of electricity generation, purchase of electricity, levy of water charges, change in tax structure, and any other unpredictable and unforeseen cost, not envisaged at the time of tariff fixation.

(2) The licensee may calculate such charge in accordance with the specified formula and recover the same from such categories of consumers with due approval from the Commission.

43. Bulk Supply Tariff

As per the provisions of the Act, the distribution licensees may procure power from any generator of electricity and/or electricity trader. The Commission may adopt a differential bulk supply tariff mechanism to ensure uniformity in retail tariffs and different levels of cross-subsidies that exit on account of the consumer mix. This position shall, however, be reviewed by the Commission from time to time.

44. Provision of subsidy

(1) If the State Government decides to subsidize any consumer or class of consumers, as per the provisions of section 65, it shall pay in advance the amount, to compensate the licensee affected by the grant of such subsidy in the manner as specified by the Commission.

Provided that no such direction of the State Government to grant subsidy shall be operative if the payment is not made in accordance with the provisions contained in the section 65 of the Act and the tariff fixed by the State Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard.

(2) To ensure implementation of the provision of the Act, the Commission shall determine the tariff initially, without considering the subsidy commitment by the State Government and subsidised tariff shall be arrived at thereafter considering the subsidy by the State Government for the respective categories of consumers.

45. Performance of licensee

The quality of service provided by the distribution licensee to its consumers shall be an important consideration and shall be judged by the extent of adherence by the licensee to the standards of performance as may be laid down by the Commission in Regulations. The Commission may introduce a system of incentive and disincentive on the basis of performance of the licensee.

CHAPTER - 4

Miscellaneous

46. Transitional Provision

These Regulations shall apply mutatis mutandis to the State Electricity Board functioning as a distribution licensee, under section 172 of the Act. Till the Board continues to operate in terms of the provisions of the said section 172, the retail tariff is to be determined taking into account, the cost of generation, transmission and distribution taken together.

47. Savings

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise impede the inherent power of the Commission to revise/review and make such orders as may be necessary in the absence of sufficient data to meet ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(2) Nothing in these Regulations shall impede the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, impede the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

48. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake such measures, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

49. Power to amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations. The Regulations may also be amended in view of National Electricity policy and National Tariff Policy, if deemed necessary.

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with that of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,
N. K. RUPWANI, Secretary.

Appendix

[Refers to clause 16(3)]

Depreciation Schedule

Description of Assets	Useful Life (yrs)	Rate (Calculated w.r.t. 90%)	
	1	2	3=1*2
A. Land owned under full title	Infinity	---	
B. Land held under lease:			
(a) for investment in land.	The period of lease or the period remaining unexpired on the Assignment of the lease.	---	
(b) for cost of clearing site	The period of lease remaining unexpired at the date of clearing the site.	---	
C. Assets:			
Purchased new:			
(a) Plant and machinery in generating Stations including plant foundations: -			
(i) Hydro-electric	35	2.57	90
(ii)Steam-electric NHRS & Waste Heat Recovery Boilers/Plants	25	3.60	90
(iii)Diesel-electric & gas plant	15	6.00	90
(b) Cooling towers and circulating water systems	25	3.60	90
(c) Hydraulic works forming Part of hydro-electric system including: -			
(i) Dams, Spilways weirs, canals reinforced concrete Flumes & syphons	50	1.80	90
(ii) Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge (tanks) hydraulic control valves and other hydraulic works.	35	2.57	90
(d) Building & civil engineering works of a Permanent character, not mentioned above: -			
(i) Offices & showrooms	50	1.80	90
(ii)Containing thermo-electric generating plant	25	3.60	90
(iii) Containing hydro- electric generating plant	35	2.57	90
(iv) Temporary erection such as wooden structures	5	18.00	90
(v) Roads other than kutcha roads	50	1.80	90
(vi) Others	50	1.80	90

(e) Transformers, transformer (Kiosk) sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)			
(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	25	3.60	90
(ii) Others	25	3.60	90
(f) Switchgear, including cable connections	25	3.60	90
(g) Lightning arrestors:			
(i) Station type	25	3.60	90
(ii) Pole type	15	6.00	90
(iii) Sychronous condensor	35	2.57	90
(h) Batteries:	5	18.00	90
(i) Underground Cable Including joint boxes and disconnected boxes	35	2.57	90
(ii) Cable duct system	50	1.80	90
(I) Overhead lines including supports:			
(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 KV	35	2.57	90
(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 Kilo volts but not exceeding 66 Kilo vols	25	3.60	90
(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	25	3.60	90
(iv) Lines on treated wood supports	25	3.60	90
(j) Meters	15	6.00	90
(k) Self propelled vehicles	5	18.00	90
(l) Air conditioning plants:			
(i) Static	15	6.00	90
(ii) Portable	5	18.00	90
(m) (i) Office furniture and fittings	15	6.00	90
(ii) Office equipments:	15	6.00	90
(iii) Internal wiring including fittings and apparatus	15	6.00	90
(iv) Street light fittings	15	6.00	90
(o) Apparatus let on hire:			
(i) Other than motors	5	18.00	90
(ii) Motors	15	6.00	90
(p) Communication equipment:			
(i) Radio and higher frequency carrier system	15	6.00	90
(ii) Telephone lines and telephones	15	6.00	90
(q) Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in the schedule	Such reasonable period as the competent Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the assets at the time of its acquisition by the owner.		

संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.